# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

## समक्ष : एम0के0सिंह

## सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 628–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15 जनवरी,2015 – पारित द्वारा – अपर कलेक्टर छतरपुर – प्रकरण कमांक 93/अ–19(4) 2005–06 स्वमेव निगरानी

बालाप्रसाद पुत्र लछुआ काछी
ग्राम बमोठा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनिल कुमार पाठक)
(अनावेदक के पैनल लायर अनुपस्थित )

आ दे श

(आज दिनांक 6–7 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 93/अ–19(4) 2005–06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर भू अभिलेख छतरपुर ने पत्र कमांक 1543/भू अभि–3/2005 दिनांक 31–8–2005 प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर छतरपुर को तहसीलदार राजनगर के प्रकरण कमांक 2/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 6–7–2002 से किये गये अनियमित भूमि

व्यवस्थापन पर कार्यवाही के लिये अवगत कराया, जिस पर से अपर कलेक्टर छतरपुर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 93/अ-19(4) 2005-06 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई हेतु तारीख 13-8-14 नियत कर कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22-7-2014 जारी किया। आवेदक ने बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 18-11-14 अभिलेख सहित प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर छतरपुर ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 15-1-15 पारित किया तथा तहसीलदार राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2/अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 6-7-2002 से आवेदक के हित में ग्राम बमीठा स्थित भूमि सर्वे नंबर 957/2 रकबा 1.200 हैक्टर का किया गया भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये विवरण तथा आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर ने आवेदक के हित में तहसीलदार राजनगर व्दारा आदेश दिनांक 6-7-2002 से म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत ग्राम बमीठा स्थित भूमि सर्वे नंबर 957/2 रकबा 1.200 हैक्टर के किये गये व्यवस्थापन को इसलिये निरस्त किया है कि आवेदक

की आयु 32 वर्ष लिखी गई है एंव वर्ष 2002 में उसकी आयु 12 वर्ष रही होगी। अपर कलेक्टर व्दारा भूमि व्यवस्थापन निरस्त करने हेतु लिया गया यह आधार उचित नहीं है क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में दिये गये अनुदेशों में वर्णित है कि :-

(2) अवयस्क व्यक्ति भी भूमि आवंटन का हकदार - अवयस्क व्यक्ति को भूमि आवंटन की पात्रता है। इस सम्बन्ध में दिनांक 21-6-1962 को ज्ञापन कमांक 3286/1042/सात-एन-दो जारी किया गया है। इस ज्ञापन के अनुसार यदि अवयस्क व्यक्ति निर्दिष्ट शक्तियों की प्रतिपूर्ति करते है तो अवयस्क व्यक्ति के पक्ष में भी भूमि का आवंटन किया जा सकता है । इस ज्ञापन का उल्लेख म0प्र0शासन के एक अन्य ज्ञापन कमांक 749-सात-दो दिनांक 9-2-1965 में भी किया गया है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में अंकित भूमि बन्टन वावत् दिये गये प्रावधानों के अवलोकन नहीं पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन के उक्त ज्ञापनों को परिमार्जित अथवा निरस्त कर दिया गया है उपरोक्त व्यवस्था आज भी बनी हुई है जिसके कारण अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 93/अ-19(4) 2005-06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 में निकाला गया निष्कर्ष दोषपूर्ण है।

4/ अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 93/अ-19(4) 2005-06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 के पृष्ठ-4 में विवेचना की गई है कि उनके व्दारा आदेश पारित करने के दिन आवेदक की आयु की गणना 32 की गई है। अतएव 32 वर्ष की बयता प्राप्त व्यक्ति कृषि कार्य करने के लिये पात्र पूर्ण पात्र माना जावेगा । आवेदक के अभिाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार राजनगर के प्रकरण कमांक 2/अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 6-7-2002 से किये गये भूमि अनियमित भूमि बन्टन से प्राप्त ग्राम बमीठा स्थित भूमि सर्वे नंबर 957/2 रकबा 1.200 हैक्टर उबड़ खाबड़ भूमि थी जिसे

आवेदक ने मेहनत मजदूरी करके कृषि योग्य बना लिया। खेत के चारों ओर बन्ध बनाकर एंव सिंचाई का साधन करके वर्ष 2002 से उन्नत कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है । यदि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 15-1-15 से आवेदक की आवंन्टन आदेश दिनांक 6-7-2002 से वर्ष 2014 में यानि 12 वर्ष वाद भूमि वापिस ली जाती है तब आवेदक के साथ नाइंसाफी होगी। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा दी गई दलील पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय --

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती -- क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉं की गई -- प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 J.L.J. 155= 1975 R.N. 67 = 1975 R.N. 208 में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्व नहीं किया जा सकता।

स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 15-1-2015 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 93/अ-19(4) 2005-06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक के नाम का शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् इन्द्राज किया जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर